

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

२१०१२१५ बनाम किस्तुराम वाणी

किस्म मुकदमा सीवाए ८८, १८८ नं. ७५/२०२२ सन् २०२२
Rt A/L

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
५/५/२०२२	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रत्नाराम</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>८८, १८८ Rt A/L</u> राजस्थान कायूतकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२३/०५/२०२२</u> को पेश हो।</p> <p><u>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/सम्पन - १ श्री शर्मा से कहील पत्र उपस्थित होइ। ई कबालिया जवाबदावा पेश विभाग गण्डा जिले शामिल पत्रावली विभाग गण्डा/वादी वकील द्वारा जारी साक्ष्य के रूप में जारी स्वयं pw-१ - राठाराम पुन किस्तुराम जाति- जाट निवासी - डुंगरा विभाग श्री ठाणी पटवार मण्डल - सवाइ पदमासिंह लटवील - गिडा व स्वयं पत्रावली pw-२ - उडाराम पुन श्री भमाला- राम जाति- जाट निवासी - डुंगरा विभाग श्री ठाणी लटवील - गिडा के शपथ-पत्र पेश विभाग जिले शामिल पत्रावली विभाग गण्डा/वादी वकील द्वारा प्रतिवादी सम्पन - २ श्री १० श्री लडू विभाग गण्डा</u></p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु मिलाप शास्त्री</p> <p>फ.नो. कि-१२२११५</p> <p>उपस्थित</p>

सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिनमे डीई इन्फुसा नही चाही गई है
वारी वहील ही एडप्टिव बटल सुनी गई
पभावली व पभावली के संलग्न राजाव रेड
8) मवलोडन विभा गण, बाड कवलोडन वारी
8) काड स्वीडर विभा जाडर निवार्य मिलग
से लिखा जाडर शामिल पभावली विभा गण,
डिग्री पचा जारी डीडर पभावली प्रेमल
सुमार डीडर डर्ज नम्बर से डम ही दाखिल
दालर ही/२

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाडमेर

श्रीमान सहायक कलेक्टर

बादी-

राणा राम पु

जिला

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 75/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राणाराम पुत्र किस्तुराराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		1. किस्तुराराम पुत्र लिछमणाराम, 2. कानाराम पुत्र लिछमणाराम, 3. जेठाराम पुत्र लिछमणाराम, 4. तुलछाराम पुत्र लिछमणाराम, 5. टीकुराम पुत्र कानाराम, 6. तेजाराम पुत्र कानाराम, 7. दुदाराम पुत्र कानाराम, 8. भोमाराम पुत्र देवाराम, 9. मीरोंदेवी पत्नी हरजीराम, 10. टीपू पुत्र हरजीराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

-: निर्णय :-

दिनांक : 23/5/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 42, 812/43, 813/43 रकबा 0.1133, 1.0360, 4.1683 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 633, 699 रकबा क्रमशः 25.3252, 26.0293 हेक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज लिछमणाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या



उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं राणाराम पुत्र किस्तुराराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में उदाराम पुत्र अमराराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज लिखमणाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 42, 812/43, 813/43 रकबा 0.1133, 1.0360, 4.1683 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 633, 699 रकबा क्रमशः 25.3252, 26.0293 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।



(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 23/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राणाराम पुत्र किस्तुराराम,
जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी,
सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

1. किस्तुराराम पुत्र लिछमणाराम,
2. कानाराम पुत्र लिछमणाराम,
3. जेठाराम पुत्र लिछमणाराम,
4. तुलछाराम पुत्र लिछमणाराम,
5. टीकुराम पुत्र कानाराम,
6. तेजाराम पुत्र कानाराम,
7. दुदाराम पुत्र कानाराम,
8. भोमाराम पुत्र देवाराम,
9. मीरोंदेवी पत्नी हरजीराम,
10. टीपू पुत्र हरजीराम,
जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की
ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 75/2022.

निर्णय दिनांक :- 23/5/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/5/22 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 42, 812/43, 813/43 रकबा 0.1133, 1.0360, 4.1683 हेक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 633, 699 रकबा क्रमशः 25.3252, 26.0293 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23/5/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़